अपील सूचना अधिकार संख्या 42/2022(GCMS 2022/179) (आरटीआई नं. 212215818046268) श्री पवन कुमार (मोबाईल नं. 7982067898) C/o Sh. Nirbhay Shankar Tiwari (Adv,) Chamber No. 95, A.K. Sen Block, Lawers Chambers, Hon'ble Supreme Court of India, New Delhi-110001 बनाम प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट; श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

05.07.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री पवन कुमार आज स्वयं उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने राज्य लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने ऑन लाईन आवेदन पत्र दिनांक 21.04.2022 से दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने राज्य लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी पवन कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 21.04.2022 के द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी से निम्न दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

> मुझे भूमि बिक्री हेतु मंजूरी जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान करें :
>
> 1. क्रमांक एफ/12/11/252/राजस्व/88 दिनांकित 03.02.1988
> 2. क्रमांक एफ/12/11/252/राजस्व/88 दिनांकित 03.002. 1988, तहसीलदार, (राजस्व), भादरा, (तत्कालीन जिला श्रीगंगानगर) को प्रेषित प्रतिलिपि।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.21 17:26:08 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ12(11)()राजस्व(आरटीआई)/2022/2272 दिनाक 19.05.2022 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आवेदन के क्रम में लेख है कि भूमि विक्रय की अनुमति से सम्बन्धित रिकॉर्ड को तलफ कर दिया गया है। सूचित रहें।
>
> संलग्न : उपरोक्तानुसार।
>
> -sd-
> लोक सूचना अधिकारी
> (प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा)
> कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी का उक्तानुसार जवाब प्रेषित किया है, जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना का रिकॉर्ड तलफ किया जा चुका है, जिसकी प्रति भी पत्र के संलग्न की है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस **पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो** और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निदेश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.21 17:26:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इस प्रकार प्रभारी अधिकारी (राजस्व शाखा), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया गया है, वह सही है जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति **प्रभारी अधिकारी (राजस्व शाखा), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर** को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.21 17:26:08 IST
Reason: SelfAttested